न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 4/18 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :– 2018/00061

उनवान

1. वासदेव पुत्र श्री मौहरपाल जाति ब्राहम्ण निवारी हिन्दी पुस्तकालय की पीछे कस्वा डीग तहसील डीग ।

........................अपीलांट।

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र जवाली (मृतक)
   1/1. प्रकाश
   1/2. वीरेन्द्र उर्फ छोटू
   1/3. महेश
   1/4. गुडडी पुत्री बाबूला
   } पिसरान बाबूलाल जाति जाटव निवासी किशनपुर मौहल्ला कस्वा डीग।
2. मोती पुत्र बीधा (मृतक)
   2/1. जगदीश
   2/2. हरीशचन्द
   2/3. महावीर
   } पुत्रान श्री मोती जाति जाटव निवासीयान किशनपुर मैहल्ला कस्वा डीग तहसील डीग जिला भरतपुर।
   2/4. अशर्फी वेवा श्री मोती
   2/5. रानी पुत्री श्री मोती
3. सुरेश चन्द
4. रामबाबू
   } पिसरान श्री सोहनलाल जाति जाटव निवासीयान किशनपुर मौहल्ला कस्वा डीग तहसील डीग जिला भरतपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डीग।

.... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीग दि0 11.12.2017 मि.नं. 95/17 उनवानी बाबूलाल बनाम सरकार।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री राजेश कुमार गुप्ता उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री ओमप्रकाश शर्मा उपस्थित।

निर्णय   दिनांक–22.01.2024

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

जिसको धमकी रैस्पो0 ने अपीलांट प्रार्थी को दिनांक 1·1·18 को कस्बा डीग

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीग के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.12.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण रैस्पो0 संख्या 05 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 658/0.16 का हिस्सा 2/3 व खसरा नम्बर 661 व 676 दौराने बन्दोबस्त गत खसरा नम्बर 617 रकवा 01 बीघा 14 विस्वा व खसरा नम्बर 636 रकवा 11 विस्वा व खसरा नम्बर 637 रकवा 17 विस्वा वाके ग्राम अचलपुर तहसील डीग के बदले में बनाये गये हैं। उक्त आराजी वादी रैस्पो0 संख्या 01 के पिता जवाली पुत्र मूला व वादी रैस्पो0 संख्या 02 लगायत 04 के पिता व बाबा बीधा पुत्र गोरखी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। परन्तु हाल बन्दोबस्त में उक्त आराजी से निर्मित नवीन खसरा नम्बरान 658 व 661 में वादीगण रैस्पो0 को गलत तरीके से बन्दोबस्त विभाग द्वारा गैर खातेदार काश्तकार दर्ज दिया है। इसी प्रकार विवादित आराजी खसरा नम्बर 676/0.11 जिसे हाल बन्दोबस्त ने गत खसरा नम्बर 636 व 637 से बनाया गया है पर भी वादीगण को गैर खातेदार दर्ज कर दिया। जबकि बन्दोबस्त विभाग को इस प्रकार इन्द्राज परिवर्तन का कोई अधिकार हासिल नहीं था। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी पर वादीगण को वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त घोषित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से आंशिक डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी के साथ पेश की गई है।

2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी में अपीलाण्ट का तर्क है कि विवादित आराजी साविक अपीलाण्ट के पिता मौहरपाल के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी रही है। परन्तु बन्दोबस्त विभाग ने दौराने बन्दोबस्त विवादित आराजी पर रैस्पो0 के नाम गैर खातेदारी के इन्द्राज दर्ज कर दिये। उक्त गलत इन्द्राजो का लाभ लेते हुये, रैस्पो0 ने विवादित आराजी बाबत् अपने पक्ष में डिक्री हासिल कर ली एंव उक्त दावे में अपीलाण्ट को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। अतः अपीलाधीन आदेश से उनके हित प्रभावित होते हैं। हमने मनन किया। चूंकि अपीलाण्ट प्रकरण में पक्षकार मुकदमा नहीं थे एवं उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का मौका नहीं मिला है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, अपील वास्ते सुनवाई ग्रहण की गयी।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

26

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिले खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, हाल जमाबन्दी तथा मिलान क्षेत्रफल का कतई अवलोकन नहीं किया। संवत 2070–73 में हाल खसरा नम्बर 676 में वासुदेव पुत्र मौहरपाल ब्राहम्ण साकिन देह खातेदार 17/28 तथा बाबूलाल पुत्र जवाली 1/2 कल्लो, सोहनलाल, मोती जाटव हिस्सा बराबर 1/2 गैर खातेदार दर्ज हैं तथा उक्त हाल खसरा नम्बर 676 को दौराने भू प्रबन्ध अपीलाण्ट वासुदेव के पिता मौहरपाल की खातेदारी के साविक खसरा नम्बर 637, 636 से बनाया है। इस तथ्य को रैस्पो0 भी मानते हैं तथा उक्त साविक खसरा नम्बर 637, 636 सालिम अपीलाण्ट के पिता मौहरपाल के कब्जे काश्त खातेदारी के रहे हैं। जिनसे रैस्पो0 का कोई संबंध सरोकार नहीं है परन्तु भू प्रबन्ध विभाग ने बिना किसी क्षेत्राधिकार विवादित आराजी के हिस्सा 11/28 का गैर खातेदार रैस्पो0 को दर्ज कर दिया। प्रकरण में रैस्पो0 ने ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे उनका दावा साबित होता हो। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी त्रुटि की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्रा... भरतपुर (रा...)

5. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। विवादित आराजी साविक रैस्पो0 के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी रही है। जिसको बन्दोबस्त विभाग ने बिना किसी सक्षम आदेश से खातेदारी कलमजन कर गैर खातेदार दर्ज किया गया है। विवादित आराजी से अपीलाण्ट का कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं ना ही उनका कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यो की जॉच उपरान्त ही दावा वादी रैस्पो0 आंशिक रूप से डिक्री किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं तनकी संख्या 01 में यह माना है कि राजस्व रिकार्ड में आराजी खसरा नम्बर 676/0.11 पर वासुदेव पुत्र मौहरपाल कौम ब्राहम्ण साकिन देह खातेदार 17 विस्वा 17/28 बाबूलाल पुत्र जवाली 1/2 कल्लो वेवा बीधा, सोहनलाल, मोती पिसरान बीघा कौम जाटव साकिन किशनपुर हिस्सा बराबर 1/2 गैर खातेदार 16 विस्वा 11/28 राहिंन वासुदेव एसबीआई शाखा डीग मुर्त रहन इन्तकाल नं 451 दर्ज रिकार्ड हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर वादी रैस्पो0 के साथ प्रतिवादी अपीलाण्ट के नाम भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहे हैं। परन्तु वादी रैस्पो0 ने उन्हें प्रकरण में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी इस तथ्य पर ध्यान ना देते हुये वादी रैस्पो0 का दावा आंशिक रूप से डिक्री किये जाने में

राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर (राज.)

कानूनी त्रुटि की है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि विवादित आराजी से संबंधित अधीनस्थ न्यायालय में दो दावे चले एक दावा रैस्पो0 ने राज्य सरकार के विरूद्ध उनवानी बाबूलाल बनाम सरकार प्रस्तुत करते हुये दिनांक 11.12.2017 को अपने पक्ष में आंशिक डिक्री कराया है एवं उक्त मुकदमे में अपीलाण्ट को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया। दूसरा दावा अपीलाण्ट ने रैस्पो0 के विरूद्ध उनवानी बासुदेव बनाम बाबूलाल दायर किया, जो अधीनस्थ न्यायालय ने एक पक्षीय रूप से अपने पक्ष में दिनांक 14.07.2022 को आंशिक डिक्री कराया है। दोनों ही वादो में विवादित आराजी समान है। इस प्रकार विवादित आराजी बाबत् दो पृथक–पृथक निर्णय पारित होना विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है। एक ही विवादित भूमि व एक ही पक्षकारों के बीच दो परस्पर विरोधी दलों को कंसोलिडेट किया जाना वांछनीय रहता है, ताकि एक ही विवाद में दो परस्पर विरोधी निर्णय पारित ना हों। इसके अलवा दौराने बहस यह तथ्य भी सामने आया है कि डिक्री मृतक व्यक्ति के विरूद्ध पारित हुयी है, तो ऐसी स्थिति में भी अधीनस्थ न्यायालय के दोनों निर्णय यथावत रखे जाने योग्य नहीं रहते हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य समझते हैं।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर) डीग के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.12.2017 अपास्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में दोनों दावे क्रमश : 95/17 उनवानी बाबूलाल बनाम सरकार एवं 262/10 उनवानी वासुदेव बनाम बाबूलाल को कंसोलिडेट किया जाकर, पुनः उभयपक्ष को समग्र साक्ष्य प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का अवसर देते हुये, विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 12.02.2024 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 22.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22-01-2024

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर